कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 141/2024 निर्णय दिनांक :–30.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

घीसालाल पुत्र गंगाराम जाति कहार उम्र बालिग निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक राज०

–अप्रार्थी–

उपस्थितः–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देंवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 98 ख. नं. 1933 रकबा 0.56 है0, ख. नं. 606 रकबा 1.55 है0, वाके ग्राम मालेड़ा पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टॉक राज0 में स्थित है। प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर क्ब्जा है। प्रार्थी ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अडोस पडोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगडी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या ाता संख्या 98 ख. नं. 1933 रकबा 0.56 है0, ख. नं. 606 रकबा 1.55 है0, वाके ग्राम मालेड़ा पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:—उक्त सभी आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। ख. नं. 606 में से 0.16 है0 तथा ख. नं. 1933/608 पर आवेदक का कब्जा काश्त नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ख. नं. 608 में से 0.16 है0 भूमि कजोड़ी देवी पत्नी गोपाल कहार को विक्रय की थी परन्तु कब्जा ख. नं. 606 में से सम्भलाया गया था। आवेदक का पड़ोसी खातेदार से सीमा विवाद है। ख. नं. 1933/608 में जिस का कब्जा है उनको पंक्षकार नहीं बनाया गया है। ख. नं. 1932/608 कजोड़ी देवी पत्नी गोपाल कहार जो गलत जगह काबिज है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदक समस्त के नाम खातेदारी दर्ज है। किसी भी पक्षकार का विरासत का नामान्तकरण शेष नहीं है। आवेदक का ख. नं. पर कब्जा नहीं है. उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि मोके पर पत्थरगढी की जावेगी तो ख्र. नं. 606 पर ख. नं. 608 के खातेदार से कोई आपति नहीं होगी । प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम मालेड़ा तहसील देवली प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है परन्तु विवादित आराजी में ख. नं. 1933/608 पर आवेदक का कब्जाकाश्त नहीं है और ख. नं. 606 में 0.16 है0 पर अन्य का कब्जा बताया है । ख. नं. 606 बाबत दोराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि कजोड़ी देवी पत्नी गोपाल कहार को प्रार्थी द्वारा उसकी खातेदारी भूमि ख. नं. 608 में से 0.16 है0 का बेचान किया था परन्तु कब्जा ख. नं. 606 में कराया गया है । अब कजोड़ी पत्नी गोपाल ख. नं. 608 में कब्जा लेने के लिए सहमत है। अतः ख. नं. ख. नं. 1933/608 पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं होने से व अन्य शेष विवादित ख नं. 606 पर ख. नं. 608 के खातेदार की सहमति होना बताने व कब्जाकाश्त होने से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 भूमि खाता संख्या 98 खसरा नम्बर 606 रकबा 1.55 है0, वाके ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक की आराजी की विधिवत पत्थरगढी नियमानुसार शुल्क जमा कर ख. नं. 608 की खातेदार कजोड़ी पत्नी गोपाल की सहमति होने पर उसकी उपस्थिति में करवाई जावे व ख. नं. 608 में 0.16 है0 का सीमाज्ञान कजोड़ी पत्नी गोपाली को भी सहमति के आधार पर करवाया जावे। सहमत न होने की स्थिति में खातेदार को सीमाज्ञा कराकर सीमाएं बताई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner